(6)

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

अ0सू0संख्या–प्रेस(शाखा)414 / 2019......57..............सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक–21·02·19

बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली– 2019

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार राज्य के मीडिया कर्मियों को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन एवं पारिवारिक सम्मान पेंशन देने के निमित्त एवं सम्मान पेंशन को प्राप्त करने हेतु पात्रता, सम्मान पेंशन की राशि, अवधि एवं अन्य शर्त्तो को विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाते है –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ** :–यह नियमावली "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली–2019" कही जा सकेगी।

   (i) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (ii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ** :– **इस** नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   (क) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

   (ख) "विभाग" से अभिप्रेत है "सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग";

   (ग) **"प्रधान सचिव / सचिव" से अभिप्रेत है** :– प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग;

   (घ) **"निदेशक" से अभिप्रेत है** निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग;

   (ड़) **"प्रभारी प्रेस" से अभिप्रेत है** :– सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के मुख्यालय में प्रेस शाखा के प्रभारी;

   (च) **मीडिया कर्मी (पत्रकार) से अभिप्रेत है** –

(i) वह व्यक्ति (यथा– पत्रकार/छायाकार/संपादक/समाचार संपादक/उप संपादक/व्यंग चित्रकार आदि) जो किसी दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्र/पत्रिका/समाचार एजेंसी/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज पोर्टल/न्यूज चैनल/न्यूज एजेंसी आदि में कार्य कर रहे हों तथा The Working Journalists And Other Newspaper Employees (Conditions of Service) And Miscellaneous Provisions Act, 1955 की कंडिका–2 एफ में वर्णित पत्रकार/छायाकार के रूप में परिभाषित किए गए हों।

(ii) वे व्यक्ति जो बिहार राज्य के निवासी हों एवं राज्य में निवासरत हों तथा किसी प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के नियमित नियोजन से सेवानिवृत्त हो चुके हों।

3. **पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की पात्रता** – यह नियमावली समस्त मीडिया कर्मियों के लिए लागू होगी जो बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य में निवासरत हों तथा –

(i.) राज्य में किसी एक या अधिक प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नियमित पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक /पारिश्रमिक /मानदेय पर कार्योपरान्त सेवानिवृत्त हो चुके हों तथा पेंशनधारी न हों (EPF को छोड़कर)। इस योजना का लाभ पाने हेतु मीडिया कर्मी को सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक होगा किन्तु मात्र आवेदन जमा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वे पत्रकार सम्मान पेंशन के लाभ हेतु पात्र हैं।

(ii.) जिन्होंने 58/60 वर्ष (संस्थान में जैसा लागू हो) की आयु पूरी कर ली हो;

(iii.) जिन्हें राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन राशि प्राप्त नहीं हो रही हो;

(iv.) आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायाफ्ता नहीं हों ।

4. **बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि** –

(i) बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि रुपये 6000/– (छः हजार) प्रतिमाह होगी।

(ii) निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभुक को बैंक खाते के माध्यम से राशि का भुगतान ऑनलाईन अंतरित किया जाएगा।

5. **बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना** – पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लाभुक की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति/पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह 3000/–(तीन हजार) रुपये की राशि पेंशन के रूप में देय होगी बशर्त्ते वे मीडिया संस्थान में या सरकारी सेवा में कार्यरत न हों।

6. **पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की अवधि – पत्रकार सम्मान पेंशन** लाभुकों **को उनके जीवन पर्यन्त दी जाएगी।**

7. **बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की अन्य शर्त्तें –**

(i) पात्र पत्रकार को किसी भी अनुसूचित बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि ऑनलाईन अंतरित की जा सके।

(ii) पत्रकार सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए संबंधित मीडिया कर्मी को विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र निम्नलिखित कागजात (जो संगत हो) आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करना होगाः–

(a) कार्यानुभव से संबंधित शपथ–पत्र।

(b) जिस संस्थान/संस्थानों में पत्रकार/छायाकार कार्यरत रहे हों उनके संपादक/व्यवस्थापक/प्रबंधक की अनुशंसा परन्तु वैसे संस्थान, जो पूर्व में बिहार में कार्यरत रहे हों लेकिन अब अस्तित्व में नहीं हैं, वैसी परिस्थिति में आवेदक को उस संस्थान में की गई सेवा की कार्यावधि के संबंध में प्रमाण के रूप में,वेतन से ई0पी0एफ के अन्तर्गत की गई कटौती का, ई0पी0एफ कार्यालय के सक्षम प्राधिकार से सत्यापित प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा।

(c) प्रत्येक वर्ष के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक सत्यापन हेतु संस्थान/संस्थानों द्वारा निर्गत टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र अथवा भविष्य निधि संगठन अथवा संस्थान/संस्थानों से किसी भी तरीके से दिये गये पारिश्रमिक संबंधी कागजात, जिससे आवेदक पत्रकार का 20 वर्षों का कार्यानुभव प्रमाणित हो सके।

(d) ई0पी0एफ0 अंशदान का सत्यापन सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा ई0पी0एफ0 कार्यालय से कराया जा सकेगा

(e) आवश्यकता पड़ने पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पदाधिकारी सत्यापन जाँच के लिए नियोजनकर्त्ता के कार्यालय में जा सकेंगे।

(f) सम्मान पेंशन प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष में मार्च के अंतिम सप्ताह तक संबंधित जिला के जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हो कर अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे, अन्यथा आगे की सम्मान पेंशन रोक दी जाएगी।

(g) राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस) तथा जिलास्तर पर जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा आवेदक एवं उसके आश्रितों के फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा।

(h) आईडेंटीफिकेशन के लिए फोटो के अतिरिक्त आधार कार्ड/पैनकार्ड की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

(i) एक शपथ पत्र देना होगा कि आवेदक आपराधिक मामले या किसी अन्य मामले में सजायाफ्ता नहीं है। यदि जाँच में कभी भी यह पाया जाता है कि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया है तो सम्मान पेंशन अस्वीकृत करते हुए दी गई राशि की वसूली की जाएगी।

8(1) पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की स्वीकृति हेतु निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी का गठन निम्नरूपेण किया जायेगा –

(i)	निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	–	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी (उप सचिव स्तर से अन्यून)	–	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी (उप सचिव स्तर से अन्यून)	–	सदस्य
(iv)	हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू दैनिक समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक चैनल के छः प्रतिनिधि (हिन्दी–दो, अंग्रेजी–एक, उर्दू–एक एवं इलेक्ट्रानिक चैनल के दो प्रतिनिधि)		सदस्य
(v)	प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस), सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार	–	सदस्य सचिव

(2) स्क्रीनिंग कमिटी प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अनुशंसाएँ देगी। स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा मान्य करना विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमिटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। तत्पश्चात् पुनःनामित करने की स्वाभाविक प्रक्रियानुसार सदस्य नामित किये जायेंगे।

कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग कमिटी के नामित सदस्य के रूप में तीन वर्षों में केवल एक बार ही नामित होंगे।

(4) स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक आश्यकतानुसार समिति के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से आहूत की जायेगी।

9. पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की पात्रता को स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त करने की शक्ति विभाग को रहेगी। यदि कोई लाभार्थी आपराधिक मामले में या किसी अन्य मामले में सजायाफ्ता हो जाता है तो उसे मिल रहे पेंशन के लाभ को जारी रखने पर विभाग पुनर्विचार कर सकेगा।

10. निदेशक, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, इस नियमावली के अधीन बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे। पत्रकार सम्मान प्रेंशन योजना का लाभ स्वीकृति आदेश निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगा।

11. यदि विभाग को यह पता चले कि गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृति हो गयी है, अथवा वित्तीय लाभ छल–साधन करके प्राप्त किया गया है तो पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की स्वीकृति किसी भी समय स्वीकृति प्राधिकार द्वारा रद्द की जा सकेगी।

12. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु, इन नियमों में अधिसूचना द्वारा, समय समय पर आवश्यक परिवर्त्तन करने के प्रयोजनार्थ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सक्षम प्राधिकार होगा।

13. निरसन एवं व्यावृत्ति – (i) बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली 2015 एतद् द्वारा निरसित की जाती है। –(ii) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कार्य किया गया था अथवा वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/01/19

(अनुपम कुमार)
सरकार के सचिव

(1)

ज्ञापांक– ......205...... सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 21.02.19

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट शाखा, वित्त विभाग को दो प्रति तथा सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं उसके 45 (पैतालिस) प्रति विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– ......205...... सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 21.02.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– ......205...... सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 21.02.19

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/19

सरकार के सचिव